समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (सर्किट रीवा (म०प्र०)

क्र०नि० 2940-पी/15

Rs. 20/-

306
11.8.15

श्रीमती बेबी गुप्ता पत्नी श्री ओमप्रकाश गुप्ता साकिन मॉ शारदा कालोनी सीताराम टंकी के पीछे सतना जिला सतना म0प्र0.........

निगराकार

बनाम

1. शासन म0प्र0

2. रविशंकर अग्रवाल तनय गौरीशंकर अग्रवाल साकिन चौक बाजार सतना तहसील रघुराजनगर सतना जिला सतना म0प्र0 ....

गैर निगराकार

श्री आर. एम. शुक्ला एड
द्वारा आज दिनांक 11-08-15 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.6.15 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 राजस्व प्रकरण कमांक 78ए12/2010–11

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकार उक्त प्रसंग में निम्न तथ्यों एवं कानूनी आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करती है :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगराकार ने अपने भू स्वामित्व की आराजी नं0 609/1/31, 610/1/31 रकवा 0.036 हे. एवं 609/1/32, 610/1/32 रकवा 1980 वर्गफिट स्थित ग्राम कोलगवॉ तहसील रघुराजनगर जिला सतना के ...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2940-पी/15 जिला सतना

श्रीमती बेबी गुप्ता / शासन शशिशंकर अग्रवाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.2.16	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। इनके प्रकाश में यह स्पष्ट है कि सीमांकन हेतु पहले दि. 22.9.14 ~~को सूचनापत्र जारी~~ [illegible] नियत थी। इस दिनांक के स्थल पंचनामे में लिखा है कि मौके पर दोनो पक्षों ने आपसी समझौते की बातचीत के लिए एक सप्ताह समय चाहा जो दिया गया। इसके बाद दि. 4.10.14 पर सीमांकन हेतु सूचनापत्र जारी हुआ। इस दि. 4.10.14 के पंचनामे में लिखा है कि सीमाओं का निर्धारण पटवारी चालू नक्शे के आधार पर किया गया; किन्हीं स्थाई ~~सीमाचिन्हों~~ आदि का आधार लेकर सीमांकन की कार्यवाही की जाना नहीं लिखा है। प्रतिवेदन दि. 27-10-14 में मौका कार्यवाही की दिनांक 22.9.14 ही लिखी है। इस [illegible] प्रतिवेदन में रेल पटरी से आधार लेकर जरीब से बिन्दु कायम कर कार्यवाही की जाना सीमांकन दल ने लिखा है। नक्शा	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	ट्रेस दि 27.10.14 का संलग्न है। तथा सीमांकन प्रमाणीकरण आदेश दि. 15.6.15 में दि. 22.9.14, 5.10.14 तथा 27.10.14 की गतिविधियों आदि का संदर्भ लेकर आदेश पारित किया गया है। इस आदेश में निगराकार बेबी की आपत्ती का लेख तथा दल द्वारा कार्यवाही की गई होने का लेख भी है। परीक्षण एवं विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश दि 15-6-15 में निगराकारा बेबी की आपत्तियों का विधिवत बोलते स्वरूप में तहसीलदार द्वारा निराकरण नहीं किया गया है। आदेश में फील्डबुक बनाए जाने का कोई लेख नहीं है, ना ही फील्ड बुक को प्रदर्श कर ओर लिखा गया है। रेलवे लाइन से जरीब खींचे जाने की बात तो है, किन्तु स्थाई सीमाचिन्ह कौन से रहे जिन्हें आधार बनाकर सीमांकन किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। बेबी की आपत्ती कि सूले के बोर जरीब खींचने से सीमांकन सही नहीं हुआ, रेल पटरी नामक केवल भूखण्ड था (रेल पटरी नहीं) आदि का निराकरण भी नहीं हुआ है। प्रतिवेदन एवं आदेश के मध्य लम्बी अवधी होने का भी अस्पष्टता उत्पन्न करती है। उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2950-II/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकाश में मैं आक्षेपित आदेश दि 15-6-15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ। तथा तहसीलदार को सीमांकन दल के माध्यम से, सही एवं पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, एवं निगराकार/गण तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों/सरहदी कृषकों को पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए, सीमांकन पूर्ण कराकर नए सिरे से बोलते स्वरूप का आदेश पारित करने का निर्देश देता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार एवं तहसीलदार रघुराजनगर सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 3.2.16	

[कृ. प. उ.